भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2055

दिनांक 30 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

तमिलनाडु पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध का प्रभाव

2055. थिरु दयानिधि मारनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्तावित मेकेदातु बांध का तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित किसानों की सिंचाई, कृषि उत्पादकता और आजीविका पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं;

(ख) क्या केंद्र सरकार को इस परियोजना के विरोध में तमिलनाडु राज्य सरकार और किसान संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में खेती के लिए कावेरी के पानी को समय पर छोड़े जाने संबंधी प्रस्तावित परियोजना के प्रभाव की जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस परियोजना की मंजूरी पर कार्रवाई करने से पहले तमिलनाडु राज्य सरकार के साथ कोई परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थित किसानों के हितों की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा न्ययाधिकरणऔर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करके तमिलनाडु के नदी जल के न्यायसंगत हिस्से को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाली किसी भी परियोजना को मंजूरी न दी जाए इसलिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): वर्ष 2019 में प्रस्तुत की गई मेकेदातु संतुलन जलाशय सह पेयजल परियोजना, कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को सीडब्ल्यूडीटी अवार्ड के अनुपालन में और वर्तमान सीडब्ल्यूसी दिशानिर्देशों के अनुसार संशोधित डीपीआर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ परियोजना प्राधिकरण को वापस कर दिया गया है।

(ख) से (घ): भारत सरकार ने तमिलनाडु सरकार और किसान संगठनों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर ध्यान दिया है जिसमें अन्य जिलों में पेयजल की उपलब्धता सहित कावेरी डेल्टा क्षेत्र पर प्रस्तावित परियोजना के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों की जांच, कार्यान्वित प्रक्रिया के अनुसार, परियोजना के मूल्यांकन के दौरान उचित रूप से की जाती है।

कावेरी जल विवाद से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.02.2018 के निर्णय के अनुसार, यह उल्लेख नहीं किया गया है कि कर्नाटक राज्य को कावेरी नदी पर किसी भी प्रकार की संरचना के निर्माण हेतु अन्य संबंधित राज्यों, नामत: तमिलनाडु, केरल और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सहमति लेनी होगी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 16.02.2018 के अपने आदेश में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) के वर्ष 2007 के अवार्ड की क्लॉज XVIII को उपयुक्त माना और अपने आदेश में पुन: यह सूचित किया कि "इस न्यायाधिकरण के आदेश में इस प्रकार की कोई बात नहीं है जो किसी राज्य के अपनी सीमाओं के भीतर जल के उपयोग को नियंत्रित करने या उस राज्य के भीतर जल का लाभ प्राप्त करने के अधिकार, शक्ति या अधिकार क्षेत्र को कम करती हो, बशर्ते यह इस न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध न हो"।

(ङ): अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (आईएसआरडब्ल्यूडी) अधिनियम, 1956 की धारा 6क अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 01.06.2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कावेरी जल प्रबंधन योजना (सीडब्ल्यूएमएस) को अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिसूचित किया गया कि इसके अंतर्गत कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) का गठन किया गया, ताकि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के निर्णय जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 16.02.2018 के आदेश के माध्यम से संशोधित किया, को क्रियान्वित किया जा सके।
